



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59235

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 540/2026

किशोर

....पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

....प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : पवन कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 84

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

दिनांक 20.3.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील किया गया था, लेकिन पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ।

पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आपराधिक अपील संख्या 160/2025 (नाबालिग "X" बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (पाँक्सो अधिनियम)-I, अमरोहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 और मुकदमा अपराध संख्या 170/2025 में किशोर न्याय बोर्ड , अमरोहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2025, धारा 103(1), 3(5) बीएनएस, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा के तहत पारित आदेश रद्द करने के लिए दायर की गई है।

पुनरीक्षणयाची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया:

- (i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 17 वर्ष, 7 महीने और 24 दिन का किशोर था; वह 15.5.2025 से अवलोकन गृह में है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक को झूठा फंसाया गया है;

(iii) डी.पी.ओ. की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या ठोस आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) आवेदक/पुनरीक्षणयाची का नाम एफआईआर में नहीं था;

(v) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(vi) दो सह-आरोपी, अनुज और वीरेश उर्फ देश कुमार, जो बालिग थे और एफआईआर में नामित थे, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 27.11.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 41846/2025 और 41910/2025 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है और दोनों आदेश इस पुनरीक्षण के साथ संलग्न हैं;

(vii) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(viii) पुनरीक्षणयाची अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में बंद रहा है।

(ix) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत परिकल्पित कोई भी आधार आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए उपलब्ध नहीं है।

(x) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई है।

राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया। यह निवेदन किया जाता है कि बताई गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और /या प्रेरित हैं। इसके अलावा, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है, 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपीलीय न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं:-

- (i) क्या रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना है, या
- (ii) क्या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या
- (iii) क्या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी?

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि आवेदक घटना की तिथि पर नाबालिग था ; डीपीओ के अवलोकन के आलोक में, वह आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है , क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहरा सके। आवेदक के पिता उसकी रिहाई पर उसकी सुरक्षा और कल्याण के संबंध में अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को दूर करने का वचन देते हैं।

उपरोक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। फलस्वरूप , वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। दिनांकित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के मददेनजर , वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। उपरोक्त मामले में अपराध के लिए आरोपित किशोर , जो अपने पिता श्री बिर्मू उर्फ बीरम्पाल की देखरेख में है, को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा;
- (ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
- (iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/269 बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर सकती है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दे।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

23 मार्च, 2026

के.के. पटेल